कार्यालय कलेक्टर, जिला–कोरबा, (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग

क्र. / 10648 /भू–अर्जन/2022, ——:: प्रारंभिक अधिसूचना ::—— कोरबा, दिनांक 15/09/2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम(6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है–

अनुसूची

भूमि का प्रकार

जिला	तहसील	भूमि का प्रकार ग्राम/प.ह.न.	ख.न.	क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 12 प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	कटघोरा	धवईपुर/9	कालम सलग्न (कुल खसरा नं. 23	कालम सलग्न (कुल रकबा 1.120हे.)	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, कोरबा	कटघोरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु

ख.नं.	क्षेत्रफल	ख.नं.	क्षेत्रफल	ख.नं.	क्षेत्रफल	ख.नं.	क्षेत्रफल
4	5	4	5	4	5	4	5
655/2	0.113	661/1	0.073	626/2	0.045	692/2	0.040
658/2	0.073	642/1क	0.020	697/2	0.016	697/1 में से	0.024
660	0.061	642/1ख	0.069	698/2, 699/1	0.008	700/1 में से	0.073
658/1	0.036	642/2	0.008	698/3	0.045	663/1, 663/2, 663/3	0.049
641	0.065	643/1	0.036	698/5	0.069	656/1	0.004
655/1	0.145	624	0.020	692/1	0.028	**कुल योग**	**1.120**

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में से कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षो के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयम् अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू–अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप मे किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से समाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

6. प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला–कोरबा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(संजीव कुमार झा)
कलेक्टर,
जिला–कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग
क्रमांक 1, कटघोरा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)